न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :- 48/2014

उनवान मुकदमा

1 नवनीत कौर पुत्री गुरूदयाल सिंह जाति जाट निवासी ई-53 सिविल लाइन श्रीगंगानगर राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

— वादिया

बनाम

1. कन्हैयालाल
2. रामचन्द्र
3. रामसहाय
4. पप्पू
5. बाबूलाल

} पुत्रान प्रभात समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर

6. सुमित्रा देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट निवासी सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज.
7. केसरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत
8. गिरधारी पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत
9. कैलाशचन्द पुत्र सोहनराम जाति जाट
10. सीताराम पुत्र भैरूराम जाति जाट समस्त निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर
11. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री रामकिशोर यादव अधिवक्ता — वादिया

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही

श्री पैरोकार सरकार —प्रतिवादी सं. 11

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 25/1/2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है, कि वादिया की ओर से एक वादपत्र बाबत स्थायी निषेद्याज्ञा एवं बंटवारा का इस आशय का पेश किया कि ,भूमि हाल खाता सं. 17 हाल खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.70 है. वाकै ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. है उक्त भूमि के हिस्सा 5/8 भाग की वादीया व हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5, हिस्सा 1/24 भाग का प्रतिवादिया सं. 6 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार राज में मांग के अनुरूप लगान जमा कराते आ रहे है। प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 10 का भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार, हिस्सा नही है। वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 अपने अपने हिस्से अनुसार मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा जो वादपत्र का एक अंग है पर काबिज काश्त रहकर काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उक्त वर्णित भूमि को मौके पर सलग्न नजरी नक्शा अनुसार बांट रखी है वादिया ने अपने हिस्से की भूमि पर रिहायशी फ्लेट पक्का मकान व दो कमरे अलग से तथा सीमेंट की पानी की टंकी पानी की क्षमता 6000 लीटर की बना रखी है व सौर उर्जा का सयंत्र, धेरलु कनेक्शन व कृषि कनेक्शन मय डी. पी. सोलर पम्प बोरिंग, पूर्व दिशा की तरफ सीमा पर सीमेन्ट की पक्की दीवार बना कर लोहे का गेट लगा कर अन्य दिशाओ में तार बाउण्ड्री मय सीमेन्ट पोल लगा रखी है एवं आवले, नीबू, करूंजे, शीशम शहतूत, अमरूद, आम व अन्य प्रकार के पेड पौधे लगा कर भूमि को विकसित कर उपयोग उपभोग काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 ने अपने हिस्से की भूमि को बंजड पटक रखा है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज संगठन बना रखा है जो वादिया को उसके हिस्से की भूमि में बाधा उत्पन्न करके भूमि को किसी खूखॉर भू-माफिया गिरोह को बेचान करके परेशान व हैरान करके बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादिया को उसके हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है, उपयोग उपभोग नही करने दे रहे है, जोकि वादिया की भूमि को हडप करना चाहते है। तथा वादिया के कब्जे में दखल पैदा करना चाहते है। वादिया को उसके हिस्से कब्जे पर उपयोग उपभोग करने देने में अडचन पैदा करते है, तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। जो कि दिनांक 22.2.2014 को प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 10 एक राय होकर जीप नम्बर आर जे. 14 3 सी 0407 से वादिया के हिस्से की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

भूमि उतर दिशा व पश्चिम दिशा में लगी हुई सीमेन्ट की खम्भी नग 12 व उसके लगे कांटेदार तारो को उखाडकर जीप में डालकर ले गये वादिया के मुख्त्यार ने मना किया तो गाली गलौच की व मारपीट की धमकी दी तथा करीब आधा घण्टे बाद प्रतिवादी सं. 8 मैसी कम्पनी का ट्रेक्टर जिस पर नम्बर नही लिखे थे लाल रंग के ट्रेक्टर से खम्भियो के निशान गडडो को ट्रैक्टर से मिटा दिया जिसकी एफ. आई. आर वादिया के मुख्त्यार द्वारा दिनांक 22.2.2014 को पुलिस थाना मनोहरपुर मे दर्ज करवाई गई तथा पुनः दिनांक 9.3.14 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी की उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को सम्पूर्ण हिस्से में से भूमि विकय करेगे बंटवारे अनुसार भूमि विकय नही करेगे भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नही करेगे प्रतिवादी सं. 7 लगा. 10 से मिलकर वादिया के मकानात, बोरिंग, पानी की टंकी को तहस नहस करेगे शेष तार बाउड्री को उखाडेगे सोर उर्जा संयत्र विधुत डीपी को उखाडेगे पेड, पौधो को नष्ट करेगे तथा वादिया को बरबाद करेगे काश्त उपयोग उपभोग नही करने देगे। शान्तिपूर्वक काश्त करने में मजामहत बेजा पैदा करेगे वादिया को भूमि से बेदखल करेगे जो करना हो कर लो। वादिया को अधिकार है, कि वह अपनी उक्त खातेदारी की भूमि के अपना हिस्सा 5/8 भाग की भूमि का मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विधिक रूप में बंटवारा करावे एवं इसका राजस्व रिकार्ड में अमल करावे प्रतिवादीगण को हमेशा–हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादिया के हिस्से की खातेदारी भूमि में बने रिहायशी फ्लेट पक्का मकान व दो कमरे अलग से तथा सीमेट की पानी की टंकी पानी की क्षमता 6000 लीटर की, सौर उर्जा का सयंत्र, धेरलु कनेक्शन व कृषि कनेक्शन मय डी. पी. सोलर पम्प बोरिग पूर्व दिशा की तरफ सीमा पर सीमेन्ट की पक्की दीवार बना कर लोहे का गेट लगा कर अन्य दिशाओ में तार बाउण्ड्री मय सीमेन्ट पोल कर रखी है एवं आवले, नीबू, करूंजे, शीशम, शहतूत, अमरूद, आम व अन्य प्रकार के पेड पौधे में कोई मदाखलत बेजा नही करे शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त उपयोग उपभोग करने देवे। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 9.3.14 को भूमि का बिना बंटवारा कराये वादिया के हिस्से की भूमि पर से वादिया को बेदखल करने वादिया के मकानात, बोरिंग, पानी की टंकी को तहस नहस शेष तार बाउड्री को उखाडने सौर उर्जा संयत्र, विद्युत डीपी को उखाडने, पेड पोधो को नष्ट करने तथा भूमि को किसी खूखॅार दीगर अजनवी व्यक्तियों को विक्रय करने की धमकी तथा वादिया को अपनी खातेदारी भूमि से महरूम करने करने की धमकी देने से वाद कारण पैदा होकर दावा अन्दर मियाद पेश है अन्त में निवेदन किया कि भूमि हाल खाता सं. 17 हाल खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.70 है. वाकै ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. स्थित का मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा विधिक बंटवारा कराया जाकर वादिया की 5/8 भाग की भूमि का अलग अलग लगान व पर्चा कायम कराया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिया की भूमि में किसी प्रकार की कोई मजाहमत बेजा पैदा नही करे उसको शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व उपयोग उपभोग करने देवे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे बहक वादिया बखिलाफ प्रतिवादीगण फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जिस पर प्रतिवादीगण सं. 1, 10, 11 बावजूद जानकारी व सूचना उपस्थित नही हुये उनके विरूद्व दिनांक 19.3.2014 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता ने यू टी देकर वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली नियत की गई उसके बाद प्रतिवादीगण को जवाब हेतु अवसर दिये गये तथा दिनांक 1.8.2014 को प्रकरण में पक्षकारों द्वारा बंटवारा प्रस्ताव मंगवाकर आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा किये जाने का निवेदन जिस पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया जिसमें उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर द्वारा दिनांक 1.9.2014 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी सं. 3, व 6 द्वारा आपति प्रस्तुत की गई तथा पत्रावली पर प्रतिवादीगण की ओर से वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व संलग्न नजरी नक्शा का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया पत्रावली वास्ते बहस बंटवारा रिपोर्ट हेतु नीयत रही तथा काफी लम्बे समय से बहस बंटवारा रिपोर्ट हेतु नीयत रही तथा दिनांक 18.11.2022 को प्रतिवादी सं. 3 व 6 के अधिवक्ता द्वारा नो इन्सट्रक्शन किया गया जिस पर वादीया के वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण सन 2014 से विचाराधीन है तथा प्रकरण में बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा प्रकरण मुख्यतय कानूनी बंटवारे की रिलीफ का है प्रतिवादीगण द्वारा केवल मात्र वादीया को हैरान व परेशान करने के लिये गलत विधि विपरीत तरीके से बंटवारा रिपोर्ट पर झुठी आपति की गई है प्रतिवादीगण के खिलाफ उसके हक अधिकार हिस्सा कब्जा की भूमि को वादिया के हिस्सा में बंटवारा प्रस्ताव में नही दिया गया है। तथा बंटवारा रिपोर्ट की प्रतिवादीगण को जानकारी है बंटवारा रिपोर्ट पर आपति प्रस्तुत की है तथा पहले तो आपति प्रस्तुत करने के लिये समय लेते रहे है तथा उसके बाद बहस हेतु समय लेते आये है तथा 2014 से केवल मात्र वादिया को हैरान व परेशान करने के लिये प्रकरण को देरिना करने के लिये नो इन्सट्रक्शन किया गया है जिस पर न्यायाहित में प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये मुताबिक वादपत्र संलग्न नजरी नक्शा व प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये लोक अदालत की भावना से प्रकरण काफी लम्बा चला हुआ आ रहा होने तथा बंटवारा का अनुतोष होने से मुताबिक बटंवारा प्रस्ताव कानूनी बंटवारा न्यायहित में फरमा दिया जावें जिस पर दिनांक 18.11.2022 को प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

प्रकरण में वादिया ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी, नजरी नक्शा तथा फोटो प्रति एफ. आई. आर. बिजली बिल घरेलू कनेक्शन, बिजली बिल कृषि, ग्राम पंचायत सुरणा पंचायत समिति शाहपुरा के द्वारा विकास शुल्क, सोलर पर्मपिंग सिस्टम मय बिल, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश की प्रति पेश की जो संलग्न पत्रावली है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बहस अधिवक्ता वादीया एकपक्षीय सुनी गई। बहस एकतरफा में वादीया के अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार अपने वादपत्र की ताईद की है। हमने वादीया के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से परीक्षण किया गया।

प्रकरण में चुकिः वादिया की तरफ से स्थायी निषेद्याज्ञा एवं बंटवारा का वाद भूमि हाल खाता सं. 17 हाल खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.70 है. वाकै ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. के सम्बन्ध में किया है जिसमें वादिया ने भूमि के हिस्सा 5/8 भाग की वादीया व हिस्सा 1/3 भाग का प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5, हिस्सा 1/24 भाग का प्रतिवादिया सं. 6 खातेदार काश्तकार काबिज काश्त होना अंकित किया तथा प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 10 का भूमि में किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार, हिस्सा नही है। तथा वादिया व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 का अपने अपने हिस्से अनुसार मुताबिक संलग्न नजरी नक्शा अनुसार काबिज काश्त रहकर काश्त उपयोग उपभोग करते आ रहे है। तथा उक्त वर्णित भूमि को मौके पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बांट रखी है तथा वादिया ने अपने हिस्से की भूमि पर रिहायशी फ्लेट पक्का मकान व दो कमरे अलग से तथा सीमेट की पानी की टंकी पानी की क्षमता 6000 लीटर की बना रखी है व सौर उर्जा का सयंत्र, धेरलु कनेक्शन व कृषि कनेक्शन मय डी. पी. सोलर पम्प बोरिंग, पूर्व दिशा की तरफ सीमा पर सीमेन्ट की पक्की दीवार बना कर लोहे का गेट लगा कर अन्य दिशाओ में तार बाउण्ड्री मय सीमेन्ट पोल लगा रखी है एवं आवले, नीबू, करूंजे, शीशम शहतूत, अमरूद, आम व अन्य प्रकार के पेड पौधे लगा कर भूमि को विकसित कर उपयोग उपभोग काबिज काश्त है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 6 ने अपने हिस्से की भूमि को बंजड पटक रखा है। प्रतिवादीगण ने एक नाजायज संगठन बना रखा है जो वादिया को उसके हिस्से की भूमि में बाधा उत्पन्न करके भूमि को किसी खूखॉर भू–माफिया गिरोह को बेचान करके परेशान व हैरान करके बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादिया को उसके हिस्से की भूमि में उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है, उपयोग उपभोग नही करने दे रहे है, जोकि वादिया की भूमि को हडप करना चाहते है। तथा वादिया के कब्जे में दखल पैदा करना चाहते है। वादिया को उसके हिस्से कब्जे पर उपयोग उपभोग करने देने में अडचन पैदा करते है, तथा लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है। जो कि दिनांक 22.2.2014 को प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादीगण सं. 7 लगा. 10 एक राय होकर जीप नम्बर आर जे. 14 3 सी 0407 से वादिया के हिस्से की भूमि उतर दिशा व पश्चिम दिशा में लगी हुई सीमेन्ट की खम्भी नग 12 व उसके लगे कोटेदार तारो को उखाडकर जीप में डालकर ले गये वादिया के मुख्त्यार ने मना किया तो गाली गलौच की व मारपीट की धमकी दी तथा करीब आधा घण्टे बाद प्रतिवादी सं. 8 मैसी कम्पनी का ट्रेक्टर जिस पर नम्बर नही लिखे थे लाल रंग के ट्रेक्टर से खम्भियो के निशान गडडो को ट्रैक्टर से मिटा दिया जिसकी एफ. आई. आर वादिया के मुख्त्यार द्वारा दिनांक 22.2.2014 को पुलिस थाना मनोहरपुर मे दर्ज करवाई गई तथा पुनः दिनांक 9.3.14 को प्रतिवादीगण ने धमकी दी की उक्त भूमि को दीगर व्यक्तियों को सम्पूर्ण हिस्से में से भूमि विक्रय करेगे बंटवारे अनुसार भूमि विक्रय नही करेगे भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नही करेगे प्रतिवादी सं. 7 लगा. 10 से मिलकर वादिया के मकानात, बोरिंग, पानी की टंकी को तहस नहस करेगे शेष तार बाउड्री को उखाडेगे सोर उर्जा संयत्र विधुत डीपी को उखाडेगे पेड, पोधो को नष्ट करेगे तथा वादिया को बरबाद करेगे काश्त उपयोग उपभोग नही करने देगे। शान्तिपूर्वक काश्त करने में मजामहत बेजा पैदा करेगे वादिया को भूमि से बेदखल करेगे जो करना हो कर लो। तथा प्रतिवादीगण को हमेशा के लिए स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादिया की भूमि में किसी प्रकार की कोई मजाहमत बेजा पैदा नही करे उसको शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व उपयोग उपभोग करने देवे। तथा भूमि का कानूनी बंटवारा कर दिया जावे के समर्थन में वादिया ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी, नजरी नक्शा तथा फोटो प्रति एफ. आई. आर. बिजली बिल घरेलू कनेक्शन, बिजली बिल कृषि, ग्राम पंचायत सुराणा पंचायत समिति शाहपुरा के द्वारा विकास शुल्क, सोलर पर्मपिंग सिस्टम मय बिल, कार्यालय सहायक निदेशक उद्यान दुर्गापुरा जयपुर द्वारा अनुदान स्वीकृति आदेश की प्रति पेश की जिनका अवलोकन किया गया तथा उप तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिसकी ताईद वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा से होना प्रमाणित है तथा वादिया के अधिवक्ता ने न्यायालय का घ्यान दिनांक 17.1.2022 की ऑर्डर सीट पर दिलाते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 3 के पति ने व प्रतिवादी सं. 7 ने पी डी रिपोर्ट पर आपति नही होना जाहिर किया गया है। तथा प्रकरण में प्रतिवादीगण को जवाब दावा हेतु काफी अवसर दिये गये है लेकिन उनके द्वारा वादपत्र व संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित तथ्यो का कोई खण्डन नही किया गया है। तथा विभाजन प्रस्ताव में वादिया को उसके हिस्सा 5/8 भाग से अधिक भूमि नही दी गई है तथा प्रकरण सन्न 2014 से विचाराधीन है प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 5 को व 6 को राजस्व रिकार्ड में वर्णितानुसार उनके हिस्सा से कम भूमि विभाजन प्रस्ताव में नही दी गई है तथा विभाजन प्रस्ताव मुताबिक रिकार्ड अनुसार है जिससे प्रतिवादीगण के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होना नही पाया जाता है तथा प्रतिवादीगण सं. 7 लगायत 10 का भूमि के राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई हिस्सा कब्जा होना नही पाया गया है इस प्रकार हम वादीया के वाद से सहमत है। तथा वादीया के वादपत्र के अभिवचनों प्रस्तुत दस्तावेजो बंटवारा प्रस्ताव से भी वादपत्र की पुष्टि होती है। तथा प्रतिवादीगण बावजूद सूचना आज दिनांक तक प्रकरण में पैरवी हेतु उपस्थित नही हुए है इससे भी यही माना जावेगा कि वे वादपत्र के तथ्यों से सहमत है एवं लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण वादपत्र व बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार किया जाना न्याय संगत व उचित समझते है। जिससे हम वादिया के वादपत्र के अभिवचनों संलग्न नजरी नक्शा प्रस्तुत दस्तावेजात व विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

अतः ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.70 हैक्ट. का वादीया व प्रतिवादीगण को मुताबिक उप तहसीलदार मनोहरपुर से प्राप्त नक्शा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम ड्रिकी किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(1) वादीया, नवनीत कौर पुत्री गुरूदयाल सिंह जाति जाट निवासी ई–53 सिविल लाइन श्रीगंगानगर राजस्थान को आराजी खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.0625 हैक्ट. का

(2) प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 कन्हैयालाल, रामचन्द्र, रामसहाय, पप्पू, बाबूलाल पुत्रान प्रभात समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर को खसरा नम्बर 1044/1349 रकबा 0.5667 हैक्ट. का

(3) प्रतिवादीगण सं. 6 सुमित्रा देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट निवासी सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. को खसरा नम्बर 1044/1348 रकबा 0.0708 हैक्ट. का पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रकरण में उप तहसीलदार मनोहरपुर की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 6 बंटवारे में प्राप्त आराजी के एक दुसरे की खसरा नम्बर रकबा खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे। तथा प्रतिवादगीण सं. 7 लगायत 10 को स्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के बंटवारे में प्राप्त रकबा/खसरा नम्बर खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे। अलग अलग लगान कायम हो। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय दिनांक 25/01/2023 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना , आर ए एस

वाद संख्या :– 48/2014

उनवान मुकदमा

1 नवनीत कौर पुत्री गुरूदयाल सिंह जाति जाट निवासी ई–53 सिविल लाइन श्रीगंगानगर राजस्थान जरिये मुख्त्यार आम बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा जाति ब्राहमण निवासी हरनेर तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

वादिया

बनाम

1 कन्हैयालाल
2 रामचन्द्र
3 रामसहाय
4 पप्पू
5 बाबूलाल

पुत्रान प्रभात
समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर

6 सुमित्रा देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट निवासी सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज.
7 केसरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत
8 गिरधारी पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत
9 कैलाशचन्द पुत्र सोहनराम जाति जाट
10 सीताराम पुत्र भैरूराम जाति जाट समस्त निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर
11 तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री रामकिशोर यादव अधिवक्ता – वादिया

प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 10 की ओर
से एकपक्षीय कार्यवाही
श्री पैरोकार सरकार –प्रतिवादी सं. 11

वाद बाबत बंटवारा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 आर टी एक्ट 1955

निर्णय दिनांक 25/01/2022

अतः ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर हाल खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.70 हैक्ट. का वादीया व प्रतिवादीगण को मुताबिक उप तहसीलदार मनोहरपुर से प्राप्त नक्शा बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम ड्रिकी किया जाकर पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(1) वादीया, नवनीत कौर पुत्री गुरूदयाल सिंह जाति जाट निवासी ई–53 सिविल लाइन श्रीगंगानगर राजस्थान को आराजी खसरा नम्बर 1044/1344 रकबा 1.0625 हैक्ट. का

(2) प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 कन्हैयालाल, रामचन्द्र, रामसहाय, पप्पू, बाबूलाल पुत्रान प्रभात समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर को खसरा नम्बर 1044/1349 रकबा 0.5667 हैक्ट. का

(3) प्रतिवादीगण सं. 6 सुमित्रा देवी पत्नी कैलाश चन्द जाति जाट निवासी सुराणा तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज. को खसरा नम्बर 1044/1348 रकबा 0.0708 हैक्ट. का पृथक पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण में उप तहसीलदार मनोहरपुर की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात की रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 6 बंटवारे में प्राप्त आराजी के एक दुसरे की खसरा नम्बर रकबा खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे। तथा प्रतिवादगीण सं. 7 लगायत 10 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीया के बंटवारे में प्राप्त रकबा/खसरा नम्बर खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे। अलग अलग लगान कायम हो। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो।

आज तारीख 25/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	